Blocks opened could not be carried on for want of Block Development Officers; and

(b) if so, how many such National Extension Service Blocks are there in West Bengal at present?

**The Minister of Community Development (Shri S. K. Dey):** (a) No.

(b) Does not arise.

**Travelling Ticket Collectors**

**364. Shri Subodh Hasda:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of grain shop staff has been absorbed as Travelling Ticket Collectors in the South Eastern Railway;

(b) if so, whether requisite qualifications for a Ticket Collector were considered before absorbing them;

(c) whether these Travelling Ticket Collectors were temporary service holders in the grain shops; and

(d) what is the number of such Travelling Ticket Collectors in that Railway?

**The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan):** (a) Yes, 145.

(b) Surplus Grainshop staff were, before being absorbed as Ticket Collectors interviewed by an *ad hoc* Selection Board to assess their suitability for such posts. In the case of employees who did not possess the requisite educational qualifications but were otherwise considered suitable, the General Manager's sanction to the relaxation of their educational qualification was obtained.

(c) Yes.

(d) Out of 145 ex-Grainshop staff absorbed as Ticket Collectors, 117 have already been promoted as Travelling Ticket Examiners and 28 are at present working as Ticket Collectors.

**फैजाबाद स्टेशन पर भोजन व्यवस्था**

**१६५. श्री रूप नारायण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फैजाबाद स्टेशन पर शाकाहारी तथा मांस हारी भोजनालय चलाने का ठेका किस व्यक्ति को कब दिया गया था;

(ख) क्या इस ठेके के लिये और लोगों से भी टेण्डर प्राप्त हुए थे; और

(ग) क्या यह सच है कि इन भोजनालयों को चलाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनेक शिकायतें आई हैं ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). फैजाबाद स्टेशन के शाकाहारी और सामिष भोजनालयों का ठेका क्रमशः मैसर्ज टहल राम डब्ल्यू० के० और मैसर्स बी० एल० मित्तल एण्ड सन्स को लगभग ३० साल पहले दिया गया था। उस समय इन ठेकों के सम्बन्ध में जो टेण्डर/प्रार्थना-पत्र आये थे, उन का ब्योरा इस समय नहीं मिल रहा है ।

ऊपर बताय गये ठेकेदारों के काम के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं और इन के ठेके १-६-५७ से खत्म किये जा रहे हैं ।

शाकाहारी और सामिष भोजनालयों का ठेका एक यूनिट में मिला दिया गया है । उपयुक्त ठेकेदार के लिये नये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं और यह तय किया गया है कि १-६-५७ से यह ठेका प्रार्थियों में से किसी एक को दे दिया जाये । जिस प्रार्थी को यह ठेका दिया जा रहा है वह एक ठेकेदार है, जिस के सभी ठेके विभागी खाद-पान व्यवस्था (departmental catering) जारी करने और कुछ स्टेशनों पर खोमचे वालों को लाइसेंस देने की प्रणाली शुरू करने के कारण खत्म किये जा रहे हैं ।